तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता बृजमोहन कुमावत उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता देवीलाल कुमावत उपस्थित। पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 585/210 रकबा 2.8263 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी के रहवासी ढाणी बनी हुई एवं प्रार्थी काबिज काश्त है। विप्रार्थीगण वर्तमान में प्रार्थी के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि में दखलंदाजी पैदा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। साथ ही मौके पर नव निर्माण कर प्रार्थी की खातेदारी में कब्जा करने पर आमादा है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी विप्रार्थीगण द्वारा रांगे खोदकर दुकानों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर उसे बेदखल किया जाता है या नव निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती तथा मौके पर भंयकर विवाद की स्थिति पैदा होगी। अतः समस्त परिस्थितियां प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने, विवादित आराजी में किसी प्रकार का नव निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी व हस्तक्षेप नही किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर मात्र विप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की पुरानी मांठे तोडकर कब्जा करने का कथन किया गया है, जबकि तहसीलदार मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट है कि पक्षकारान् के सेढों के मध्य सीणों के टुकड़े लगाये हुए है तथा मांठों पर पुराने पेड़ पौधे मौजुद है। वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खेत की माठ से दूर अपनी खातेदारी में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिससे प्रार्थी की खातेदारी एवं हक हिस्सा क़िसी प्रक़ार से प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन झूठे एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित पेश किया हुआ होने तथा प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से आवेदन को खारिज फरमाया जावें। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में विवादित आराजी में विप्रार्थीगण द्वारा दखलंदाजी करने तथा मौके पर निर्माण कार्य कर उसे बेदखल करने पर आमादा होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है। चूंकि प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है तथा काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त विवादित आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सेढासेढ आयी हुई है। मौके पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.23 17:57:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

विप्रार्थीगण द्वारा रांगे खोदी हुई है तथा दुकानों हेतु पुरानी कायम माठ से 50–60 फीट दूरी पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। चूंकि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य संपरिवर्तन से पूर्व नहीं करवाया जा सकता। यदि निमार्ण कार्य किया जाता है तो इससे मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा नया उण्डू, तहसील शिव के खसरा नम्बर 585/210 रकबा 2.8263 हैक्टेयर भूमि में एक दुसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करने तथा भूमि में संपरिवर्तन से पूर्व किसी प्रकार कर नव निर्माण कार्य नहीं करने के आश्य का अस्थाई निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश ताफैसला वाद कंफर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.23 17:57:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner